



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति  
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

F29(37)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/उदयपुर/09/ 7962

दिनांक : 9.8.10

परिपत्र

वित्त विभाग की स्वीकृति के अनुसार इस कार्यालय के पत्रांक एफ 29(37)/एनआरएचएम/एमएमजेआरके/उदयपुर/09/6157 दिनांक 28.5.2010 के द्वारा वर्ष 2010-11 में बीपीएल काउण्टर पर फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लेखाकर्मियों की स्वीकृति भिजवायी गयी। जिसमें उनके चयन प्रक्रिया, पारिश्रमिक तथा बजट हैड इत्यादि का पूर्ण विवरण प्रेषित किया गया है, ताकि आदेश के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की समस्या न हो। परन्तु खेद का विषय है कि उक्त आदेशों की पालना न करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा स्वविवेकी निर्णय निम्न प्रकार लिये गये हैं-

1. दिनांक 28.05.2010 के स्वीकृति पदों से अधिक कार्यरत संविदा कर्मियों को नहीं हटाना।
2. संविदा कर्मियों की सेवाएं एम.ओ.यू. के प्रावधानों के तहत नियमानुसार एक माह का नोटिस/मानदेय भुगतान कर समाप्त किया जाना चाहिए था, जिसकी पालना नहीं की गई व परिणामस्वरूप न्यायालयों में वाद दायर हुए।
3. आदेश दिनांक 28.05.2010 की शर्त व निर्देश संख्या 5 का गलत व्याख्या कर एनआरएचएम मद से मुख्यालय जयपुर द्वारा पूर्व में लगाये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट व लेखाकर्मियों के साथ-साथ मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष (एमएमजेआरके) से लगाये गये संविदा कर्मियों को एक ही मान लिया जाना। परिणामस्वरूप स्वीकृत पदों से अधिक संविदा कर्मियों का नहीं हटाया गया।
4. मुख्यालय जयपुर से नियुक्त संविदाकर्मियों (फार्मासिस्ट, लेखाकर्मियों) को उनके टर्मस ऑफ रेफरेंस के अनुसार बीपीएल काउण्टर पर भी कार्य करने के निर्देशों की अनभिज्ञता दर्शाते हुए बी.पी.एल. काउण्टर हेतु कार्य नहीं लिया जाना।

इस कार्यालय से दूरभाष के साथ-साथ लिखित में सम संख्यक पत्रांक दिनांक 24.06.2010 व 28.06.2010 के द्वारा भी निर्देश दिये गये। परन्तु उन आदेशों की पालना नहीं की गयी। अतः मुख्य मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत खोले गये काउण्टर पर संविदा कर्मियों की नियुक्ति एवं भुगतान के क्रम में पुनः निम्न निर्देश दिये जाते हैं कि:-

1. संविदा कर्मियों के स्वीकृत पदों हेतु सम संख्यक आदेशांक 6157 दिनांक 28.5.2010, पूर्व के आदेशांक 3966 दिनांक 10.9.2009 को अतिक्रमण कर जारी किया गया है। इस प्रकार दिनांक 28.5.2010 के तहत स्वीकृत पदों के अलावा जो पद दिनांक 10.9.2009 में स्वीकृत किये गये वे सभी पद समाप्त माने जावे। दिनांक 28.5.2010 का स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के आईडी क्रमांक 101001873 दिनांक 25.5.2010 के क्रम में जारी किया गया।
2. संबंधित मेडिकेयर रिलिफ सोसायटी द्वारा ही संविदा कर्मियों को MRS या प्लेसमेंट एजेंसी के साथ हुये एम.ओ.यू. के अनुसार ही हटाया जावे।
3. हटाये गये संविदा कर्मियों को 1.3.2010 से 31.05.2010 या जो भी हटाने की दिनांक है तक का पारिश्रमिक मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में दिये गये बजट में से किया जावे।

4. सक्षम न्यायालय के द्वारा हटाये गये संविदा कर्मियों को स्थगन आदेश दिया गया हो तो माननीय न्यायालय के आदेशों की पालना करे तथा स्थगन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावे। स्थगन अवधि में कार्य करने पर पारिश्रमिक MMJRK से दिया जावे।
5. मुख्यालय के आदेश दिनांक 28.05.2010 के तहत संविदाकर्मियों की स्वीकृत संख्या तक उनके पूर्व में किये गये कांट्रेक्ट की अवधि (सितम्बर/अक्टूबर 2010) तक रखा जाये तथा कांट्रेक्ट समाप्ति के पश्चात निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संविदा कर्मियों को लगाया जावे।\*
6. जिला अस्पतालों में मुख्यालय जयपुर के द्वारा एनआरएचएम से (जनवरी-मार्च 2010 में) जिला अस्पताल में 2 फार्मासिस्ट, जिला ड्रग वेयर हाउस के संचालन हेतु पहले से ही दिये गये तथा दिनांक 28.5.2010 के आदेश से 1 फार्मासिस्ट मुख्य मंत्री बी.पी.एल. काउण्टर पर लगाया गया है। इस प्रकार जिला अस्पताल में 3 फार्मासिस्ट के पद हो गये है। जिन्हें जिला ड्रग वेयर हाउस एवं बीपीएल ड्रग डिस्ट्रीब्युसन सेंटर में काम लिया जावे।
7. समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सब-डिविजनल हॉस्पिटल एवं सेटेलाइट हॉस्पिटल में एनआरएचएम के माध्यम से दिये गये फार्मासिस्ट एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत संविदा लेखाकर्मियों की सेवा MMJRK योजना के तहत बीपीएल काउण्टर पर भी ली जावे।
8. यदि किसी स्थान पर एनआरएचएम के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मियों फार्मासिस्ट, कम्प्यूटर ऑपरेटर, एकाउंटेंट के द्वारा कार्य ग्रहण नहीं किया गया है तो उन स्थानों पर हटाये गये संविदा कर्मियों को समायोजित किया जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे। उक्त आदेशों की अवहेलना के क्रम में संबंधित प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(डॉ. प्रीतम बी.यशवंत )  
मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, विभाग।
6. मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम./परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.
7. समस्त सम्भागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
8. निदेशक(जन स्वास्थ्य/पक्र./एड्स/आईईसी)/परियोजना निदेशक, (एमएमजेआरके/एनआरएचएम)
9. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, राजस्थान।
10. समस्त अधीक्षक, सलंगन चिकित्सालय संघ, राजस्थान।
11. समस्त सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चि. एवं स्वा. अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
13. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
14. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/खण्ड कार्यक्रम प्रबन्धक।
15. सेंट्रल सर्वर रूम/रक्षित पत्रावली/नोटिस बोर्ड।

मिशन निदेशक  
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन